कार्यालय नगर परिषद, गढ़वा

ज्ञापांक दिनांक

आवश्यक सूचना

आप सभी नगर परिषद, गढ़वा वासियों को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नगर परिषद, गढ़वा क्षेत्रान्तर्गत चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अधीन घटक III "भागीदारी में किफायती आवास" के अंतर्गत नगर परिषद, गढ़वा क्षेत्र के भूमिहीन एवं आवास विहिन शहरी गरीबों को आवास आवंटन कराने हेतु परियोजना नगर परिषद, गढ़वा द्वारा सोनपुरवा में 400 आवास (फ्लैट) का निर्माण किया जा रहा है। इस घटक के अंतर्गत लाभुक का अंशदान लगभग 3.96 लाख होगा, जो निर्धारित बैंको द्वारा आसान किस्तों में ऋण प्रदान की जायेगी।

घटक III "भागीदारी में किफायती आवास" के अंतर्गत लाभुक हेतु पात्रता की शर्ते :–

1. लाभार्थी आर्थिक रुप से कमजोर (EWS) वर्ग के होगे जिनकी आय अधिकतम 3 लाख रु0 हो (आय प्रमाण पत्र)।
2. आवेदक 2015 के पूर्व से नगर परिषद गढ़वा क्षेत्र के निवासी हो।
3. योजना अंतर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नि एवं अविवाहित बच्चे शामिल होगे। (आधार कार्ड)
4. आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य के नाम पर भारत में कही भी पक्का मकान नही होना चाहिए। (शपथ पत्र)
5. लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों में से केवल एक घटक का लाभ ले सकते है। (शपथ पत्र संलग्न)
6. पूर्व से संचालित केन्द्र प्रायोजित आवासीय योजना के लाभुक इस मिशन अंतर्गत पात्र नही होगे।
7. आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :–
   - लाभार्थी का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड का छायाप्रति
   - परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड का छयाप्रति
   - लाभार्थी का बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें खाता संख्या स्पष्ट अंकित हो (स्वसत्यापित छायाप्रति)
   - लाभार्थी का पासपोर्ट साईज फोटो (03 प्रति)
   - स्वघोषणा / शपथ पत्र
   - दिव्यांग प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)
   - लाभार्थी का चालू मोबाईल नंबर
   - नगर परिषद, गढ़वा के द्वारा मांग की गई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)
8. नये आवेदन / पंजीकरण निम्नांकित माध्यम से किया जा सकता है :–
   - विकल्प – 1 लाभार्थी द्वारा शहरी एवं आवासन मंत्रालय के वेबसाइड www.pmaymis.gov.in में citizen assessment के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण किया जा सकता है।
   - विकल्प –II लाभार्थी द्वारा common service / प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण सशुल्क किया जा सकता है।
   - इच्छुक व्यक्ति नगर परिषद गढ़वा कार्यालय से निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर सकते है।
9. उक्त माध्यम से भरे हुए आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज के साथ नगर परिषद, गढ़वा कार्यालय में 30 अक्टूबर 2020 तक जमा करना सुनिश्चित करेगे।
10. लाभार्थी के आवेदन पत्र पात्रता एवं दस्तावेज का सत्यापन नगर परिषद, गढ़वा कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
11. लाभार्थी को 5000/– (पॉच हजार रुपये) सुरक्षा जमा राशि चालान द्वारा निर्धारित बैंक में जमा करना होगा यदि लाभार्थी आवास आवंटन के पूर्व आवेदन वापस लेते है या प्रतिक्षा सूची में होगे उनकी सुरक्षा राशि वापस कर दी जायेगी।
12. इस योजना की अधिक एवं विस्तृत प्रावधानों शर्तों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए नगर परिषद, गढ़वा के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

    सम्पर्क नं0 :– 8789895940 (नोडल पदाधिकारी, PMAY नगर परिषद गढ़वा)

आदेशानुसार
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद गढ़वा।